

12.9.25

पञ्जावली अधिवक्ता/शर्मा द्वारा

प्रार्थना पत्र पेश करने पर सिंगहे

से तालब करने पर पेश हुई।

अधिवक्ता/शर्मा ने प्रकरण के

दिनांक 10.9.25 के पारित

निर्णयानुसार विपक्षीयों के उगलाने

के लिये निर्धारित राशि के बैंक

चेक/डीडी विपक्षीयों के नाम के

प्रस्तुत का निर्णयानुसार पालना

करवाने हेतु निवेदन किया है।

अतः प्रस्तुत बैंक चेक/डीडी संबंधित

के उगलाने हेतु वसूलीदाता नियंत्रण

के नाम निर्णय की जति एवं प्रमाण

रिपोर्ट के साथ प्राप्त नमूना फॉर्म

की जति प्रेषित की जाकर लिखा जाके

कि संबंधित के उगलाने के पश्चात्

प्रस्तावित राशि की शक्ति को राज्य

रेकार्ड में अमलदस्तावेज किया जाके

पञ्जावली पुनः फौजदारी अदालत पर

रखी जाके।



(अनिल कुमार सिंह)
सहायक बालकटर एवं
उपमहानिरीक्षक
चित्तौड़गढ़ (राज.)